आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0 28/2017–18
आवेदक– सुरेश मुसहर
बनाम
विपक्षी– धर्मेन्द्र सिंह वगै0

आदेश

28.03.18 आवेदक सुरेश मुसहर के द्वारा अंचल अधिकारी बरहरवा को मौजा सिउलीडांगा का जमीन मापी कराने हेतु आवेदन दिये। अंचल अधिकारी ने वर्णित भूमि का मापी कराने के पश्चात संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन के साथ पत्रांक 1388/रा0, दिनांक 15.12.2017 के द्वारा अवैध दखलकार को उच्छेद कराने हेतु इस न्यायालय को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराये हैं। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षीगण को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग किया गया।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0न0	दाग न0	रकवा
सिउलीड़ांगा	30	29, 30, 31 एवं 48	07 बीघा 14 कट्ठा 18 धूर

सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु इस वाद की सुनवाई शिविर न्यायालय, पतना में किया गया। आवेदक अनुपस्थित। विपक्षी को सुना।

विपक्षीगण का मौखिक रूप से कहना है कि नोटरी पब्लिक, राजमहल के शपथ पत्र सं0 11279/05 एवं 6091/07 के द्वारा हमलोगों का उक्त भूमि दान स्वरूप सुकरा मुसहर व मंगरा मुसहर पिता बोंगा मुसहर से प्राप्त हुआ है एवं तब से विपक्षीगण उक्त भूमि पर मकान बनाकर सपरिवार निवास करते आ रहे हैं। आवेदक सिर्फ विपक्षीगण को परेशान करने की नीयत से यह वाद लाये हैं, जो चलने योग्य नहीं है। अतएव आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त करने हेतु प्रार्थना किया है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने पत्रांक 1388/रा0, दिनांक 15.12.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा सिउलीडांगा, जमाबंदी नं0 30, दाग नं0 30 दाग नं0 29 रकवा 03 कट्ठा 13 धूर, दाग नं0 30 रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 04 धूर, दाग नं0 31 रकवा 01 बीघा 13 कट्ठा 18 धूर एवं दाग नं0 48, रकवा 07 बीघा 13 कट्ठा 18 धूर जमीन खतियान में बंशी मुसहर के नाम से दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। जिसकी वंशावली निम्न प्रकार है:–

11.8.18

- बंशी मुसहर (खतियानी रैयत)
  - बोंगा मुसहर
    - सुकरा मुसहर (जि0)
      - चैता मुसहर (जि0)
      - सरकेशु मुसहर (जि0)
    - मंगरा मुसहर (मृत)
      - छोटा पुलिन मुसहर (पुत्र)
  - अमृत मुसहर (मृत)
    - फिरंगी मुसहर (मृत)
      - जगरनाथ मुसहर (मृत)
        - नरेश मुसहर (मृत)
          - बड़ा पुलिन मुसहर (पुत्र जी0)
          - रंजीत मुसहर (पुत्र जी0)
          - अजीत मुसहर (पुत्र जी0)
          - सुजीत मुसहर (पुत्र जी0)
          - छोटन मुसहर (पुत्र जी0)
        - सुरेश मुसहर (आवेदक)
          - धनंजय मुसहर (पुत्र जी0)
          - अजय मुसहर (पुत्र जी0)

अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अंचल अमीन के द्वारा सर्वे नक्शा से मिलान करते हुए दाग नं0 29 रकवा 03 कट्ठा 13 धूर तथा दाग नं0 30 रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 14 धूर जमीन में विपक्षी धर्मेन्द्र सिंह पिता स्व0 रामावतार सिंह सा0 सिउलीडांगा का दखल है जिसमें आम का पेड़ वगैरह लगा हुआ है तथा आंशिक भूमि पर मकान बनाया हुआ है। पुनः आवेदित दाग नं0 31 एवं 48 को मापी करने पर पाया कि दाग नं0 48 के आंशिक रकवा 04 कट्ठा जमीन पर आवेदकगण का पूर्खो का नीजी कब्रस्थान बना हुआ है तथा दाग नं0 31 रकवा 01 बीघा 13 कट्ठा 18 धूर एवं दाग नं0 48 के अंश रकवा लगभग 07 बीघा 03 कट्ठा 13 धूर जमीन में विपक्षी कार्तिक साह पिता स्व0 सूचन साह सा0 सिउलीडांगा का दखल कब्जा है। नापी प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी बरहरवा ने दोनों दखलकारों से उक्त भूमि से संबंधित कागजात की मांग करने पर शपथ पत्र सं0 11279/05 दिनांक 28.09.2005 एवं 6091/07 दिनांक 06.08.2007 प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतएव अंचल अमीन द्वारा प्राप्त मापी प्रतिवेदन, ट्रेस

नक्शा, खतियान की छाया प्रति, राजस्व कर्मचारी द्वारा प्राप्त मापी प्रतिवदन एवं अवैध दखलकारों द्वारा दाखिल शपथ पत्र की छाया प्रति अत्रसह संलग्न करते हुए विपक्षीगण को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् अवैध दखलकारों को उच्छेद करने की अनुसंशा की जाती है, से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन एवं विपक्षीगण को सुनने से स्पष्ट होता है कि मौजा सिउलीडांगा, जमाबंदी नं0 30, दाग नं0 30 दाग नं0 29 रकवा 03 कट्ठा 13 धूर, दाग नं0 31 रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 04 धूर, दाग नं0 31 रकवा 01 बीघा 13 कट्ठा 18 धूर एवं दाग नं0 48, रकवा 07 बीघा 13 कट्ठा 18 धूर जमीन खतियान में बंशी मुसहर के नाम से दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वारिसान है, जबकि विपक्षीगण का दावा है कि उन्हें कार्यवाही वाली जमीन नोटरी पब्लिक शपथ पत्र के द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसपर वे मकान बनाये हुए हैं एवं दखलकार हैं।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह पाया जाता है कि मौजा सिउलीडांगा, जमाबंदी नं0 30, दाग नं0 29, 30, 31 एवं 48 कुल रकवा 07 बीघा 14 कट्ठा 18 धूर जमीन पर विपक्षीगण अवैध रूप से दखलकार है, जबकि आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षीगण ने नोटरी पब्लिक शपथ पत्र के माध्यम से कार्यवाही वाली जमीन पर दावा कर रहे हैं, जो वैध दस्तावेज नहीं है। अतएव विपक्षीगण को मौजा सिउलीडांगा जमाबंदी नं0 30 दाग नं0 29, 30, 31 एवं 48 कुल रकवा 07 बीघा 14 कट्ठा 18 धूर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(1) एवं 42 के अधीन उच्छेद किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा एवं थाना प्रभारी, कोटालपोखर को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.01.13 14:25:03 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner